सं0सं0–7/सदर–24–01/2012–

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि पत्र

विभागीय आवंटनादेश संख्या–35(7)ब दिनांक–30.07.12 की कंडिका–4 में दवा एवं अन्य इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन के स्थान पर अधीक्षक, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी पढ़ा जाय ।

उक्त आवंटनादेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

आवंटनादेश की शेष शर्त्ते यथावत रहेंगी ।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव
पटना, दिनांक : 3 – 8 – 12

ज्ञापांक : 36(7)0

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ सिविल सर्जन, पटना/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेंजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3/8/12
सरकार के संयुक्त सचिव